भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 164
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री के अंतर्गत धन का आवंटन

†164. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य को कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है;
(ख) क्या गुजरात राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लिए और अधिक धनराशि की मांग की है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): पिछले पांच वर्षों अर्थात 2020-21 से 2025-26 तक समग्र शिक्षा के तहत गुजरात राज्य को आवंटित और संवितरित निधियां इस प्रकार है:

रु.करोड़ में

समग्र शिक्षा

वर्ष	कुल अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित केंद्रीय भाग	जारी किया गया केंद्रीय भाग
2021-22	2669.29	1009.74	893.76
2022-23	2850.34	1371.20	1321.25
2023-24	3013.90	1334.74	1132.53
2024-25	3311.64	1601.73	1245.54
2025-26	2821.83	1435.19	524.35 (अब तक)

कुल	**14667.0**	**6752.6**	**5117.43**

केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना पीएम श्री को मंत्रिमंडल ने दिनांक 7 सितंबर, 2022 को अनुमोदित किया था। अनुमोदन के बाद, वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-2026 के दौरान गुजरात राज्य को पीएम श्री योजना के तहत आवंटित और संवितरित निधियां का ब्यौरा इस प्रकार है:

रु.करोड़ में **पीएम श्री**			
वर्ष	**कुल अनुमोदित परिव्यय**	**अनुमोदित केंद्रीय भाग**	**जारी किया गया केंद्रीय भाग**
2023-24	109.79	65.87	32.93
2024-25	145.84	87.50	63.58
2025-26	162.09	97.26	9.47 (अब तक)
कुल	**417.72**	**250.63**	**105.98**

केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है। गुजरात राज्य समेत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत मध्यवर्तनों को लागू करने के लिए विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए, समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएँ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और यह उनके अपने वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडपी) में प्रदर्शित होता है। इन योजनाओं को कार्यक्रम और वित्तीय मानदंड के अनुसार परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। वित्त मंत्रालय और समग्र शिक्षा रुपरेखा द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है।

*****